ISSN - 2348-2397
UGC Approved, Journal No. 48836
राजनीति शास्त्र
SHODH SARITA
Vol. 3, Issue 11, July-September, 2017
Page Nos. 84-86
AN INTERNATIONAL BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

भारतीय महिलाएं और राजनीतिक सशक्तिकरण

डॉ0 आभा सिंह*

शोध सारांश

भारत में सदियों से पंचायतें एक विशिष्ट प्रकार की प्रकृति एवं कार्यशैली का प्रतिनिधित्व करती रही हैं। कभी ये जातीय प्रभुता की परिचायक रही है तो कभी लोकतन्त्र का स्वाभाविक प्रवाह बनी है। आज स्थिति यह है कि पंचायती राज में पंचायती तो किसी और के पास है और राज किसी दूसरे के अधीन है। इन दोनों के संतुलित समागम के बिना समग्र ग्रामीण विकास का लक्ष्य–किंचित कठिन हो गया है। सन् 1830 में सर चार्ल्स मैटकाफ ने भारत के आत्मनिर्भर गाँवों को 'लघु गणराज्य' नाम दिया था। मैटकाफ का कहना था– "जहाँ कुछ भी नहीं टिकता, वहाँ ये टिके रहते हैं। एक के बाद एक राजवंश धराशायी होते रहे हैं। एक के बाद दूसरी क्रान्ति आती है हिन्दू, पठान, मुगल, मराठा, सिक्ख एवं अंग्रेज सभी बारी–बारी से अपना स्वामित्व स्थापित करते हैं किन्तु ग्राम–समाज ज्यों की त्यों बने रहते हैं। संकटकाल में ये अपने हथियार सज्जित करते हैं तथा मोर्चाबंदी करते हैं। इन ग्रामीण समाजों में प्रत्येक में अपना छोटा सा राज्य है। इनकी एकता ही वह शक्ति है जो इन्हें समस्त प्रकार की क्रान्तियों एवं परिवर्तनों के बावजूद सुरक्षित बनाए रखती है। यह एकता इनके सुखों, स्वतन्त्रता तथा आत्मनिर्भरता का मूल कारक रही है। "पंचायतें एक ऐसी क्रान्ति हैं जो विकास की ज्योति को हमारे लाखों गाँवों तक पहुँचाएंगी। यह ऐसी क्रान्ति है जो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लाखों लोगों और हमारे देश की आधी जनसंख्या अर्थात् भारतीय महिलाओं के लिए नये अवसर खोल देंगी . . . यह क्रान्ति मनमाने ढंग के प्रशासन को समाप्त करेगी तथा प्रशासन को प्रतिनिधित्वपूर्ण, उत्तरदायी एवं संवेदनशील बनाएगी।"

आज भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र कहा जाता है क्योंकि भारत में न केवल संघीय एवं प्रान्तीय सरकारें प्रत्यक्ष लोकतन्त्र का सशक्त प्रमाण है बल्कि नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकारें भी हैं। ग्रामीण भारत का मतदाता सामान्यतः छः प्रकार के जनप्रतिनिधि चुनता है–

1. लोकसभा का सांसद
2. विधानसभा का विधायक
3. सरपंच
4. वार्ड पंच
5. पंचायत समिति प्रतिनिधि
6. जिला परिषद प्रतिनिधि

भारत में कुल जनप्रतिनिधियों की संख्या लगभग 31 लाख है। जिनमें पंचायती राज संस्थाओं में लगभग 22 लाख जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जिसमें 40 प्रतिशत से भी अधिक (9 लाख) महिलाएँ है।

सन् 1992 में संविधान के 73वें संशोधन में पंचायती राज संस्थाओं की यथा स्थिति समाप्त करने और उन्हें अधिक सुदृढ़ करने तथा उनकी प्रभावी भूमिका सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया। इस संशोधन के अनुसार अब राजनीतिक विकेन्द्रीकरण की इन संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हो गया है। अब राज्यों के पंचायतों की संरचना को विवेकपूर्ण बनाने की व्यवस्था है। पंचायती राज संस्थाओं में प्रभुता सम्पन्न वर्ग के विवेकपूर्ण बनाने की व्यवस्था है। पंचायती राज संस्थाओं में प्रभुता सम्पन्न वर्ग विशेष के नेतृत्त्व के वर्चस्व को भी यथा कम करने का प्रयास किया गया है। इसके लिए उनमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए स्थान सुरक्षित किया गया है। संविधान के इस संशोधन में महिलाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके अनुसार इन के लिए आरक्षित पदों की एक तिहाई संख्या पर आरक्षण की महिलाओं का होगा।

महिलाओं को मिले एक तिहाई आरक्षण ने पुरुष समाज में चारदीवारी में बन्द सिसक रही आधी दुनिया की दुनिया ही बदल दी है। आज अकेले राजस्थान में पंचायती संस्थाओं के कुल 120,553 जनप्रतिनिधियों में से 40,534 महिलाएं हैं जो 33.33 प्रतिशत से भी अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज जनप्रतिनिधियों में लगभग 9 लाख महिलाएं ...

*एसोसिएट प्रोफेसर – राजनीति शास्त्र विभाग, कुमारी मायावती राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बादलपुर, गौतमबुद्धनगर, (उ0प्र0)